

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क. :- 789/2014)
(संस्थित दिनांक :- 08/09/14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. मातवर सिंह गुर्जर पुत्र राजेन्द्र सिंह गुर्जर, उम्र 28 वर्ष।

निवासी :- बहादुरपुर, थाना-महाराजपुरा, जिला-ग्वालियर, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 09/10/2017 को घोषित)

01. आरोपी मातवर सिंह पर धारा :- 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 11/08/2014 को दोपहर लगभग 01:30 बजे बाके सिंह तोमर के मकान के सामने तुकेड़ा मालनपुर में ग्वालियर-भिण्ड लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत आरती को टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं मृतक भारती को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 11/08/2014 को दोपहर लगभग 01:30 बजे बाके सिंह तोमर के मकान के सामने तुकेड़ा मालनपुर में ग्वालियर-भिण्ड लोकमार्ग पर, वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत आरती को टक्कर मारकर उपहति एवं मृतक भारती को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने की देहाती नालसी फरियादी कल्याण सिंह तोमर द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर आरोपी वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 के चालक के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 170/14 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.

सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत आरती के एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। घटना दिनांक : 11/08/2014 को ही शाम 04:30 बजे घटनास्थल बाके सिंह तोमर के मकान के सामने तुकेड़ा मालनपुर में ग्वालियर-भिण्ड लोकमार्ग से वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक :- 13/08/2014 को आरोपी मातवर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 मय दस्तावेज की छायाप्रतियाँ जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी सुनील कुमार का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी कल्याण सिंह, आहत आरती, साक्षीगण बंटी उर्फ धर्मेन्द्र, पुरुषोत्तम एवं देवेन्द्र सिंह के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त मातवर सिंह के विरुद्ध धारा 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी मातवर ने दिनांक : 11/08/2014 को दोपहर लगभग 01:30 बजे बाके सिंह तोमर के मकान के सामने तुकेड़ा मालनपुर में ग्वालियर-भिण्ड लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन केंटर क्रमांक यू.पी. 86/एफ/9772 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत आरती को टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक भारती को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी कल्याण सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 11/08/2014 को दोपहर के 01:30 बजे की है। उसकी नातिनी आरती एवं भारती ट्यूशन पढ़कर आ रही थी। साक्षी आगे कहता है कि बांके सिंह के मकान के सामने की घटना है, भिण्ड की तरफ से एक केंटर जिसका नम्बर यू.पी.86/एफ/9772 था, जो बेहद लापरवाही एवं तेजी से आया और दोनों को टक्कर मार दी, टक्कर लगने से भारती मौके पर ही खत्म हो गई थी तथा आरती घायल हो गई थी, उसका पैर टूट गया था। 108 एम्बूलेंस से ईलाज के लिए आरती को लेकर ग्वालियर गये थे तथा भारती का पोस्टमार्टम गोहद चिकित्सालय में कराया गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना की रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी. 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। भारती की मृत्यु की सूचना थाने पर दी गई, जिसकी सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस द्वारा मृत्यु जांच में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शव पंचायतनामा बनाया गया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल नक्शा-मौका उसके समक्ष बनाया गया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। केंटर को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.06 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी कल्याण अ.सा.01 ने पुनः यह दोहराया है कि घटना दिनांक : 11/08/2014 के दोपहर 01:30 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह गाड़ियों के पीछे, जो नम्बर लिखे होते हैं, उनको पढ़ लेता है। साक्षी का कहना है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ, वह घटनास्थल पर पानी भर रहा था और आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने शोर-गुल की आवाज होने पर देखा था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में कल्याण अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट होने के बाद धड़ाम की आवाज हुई थी और गाड़ी खण्डों पर आकर रुक गई थी। इस प्रकार घटनास्थल पर आरोपित घटना के समय कल्याण सिंह अ.सा.01 के उपस्थित

होने एवं आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 होने के संबंध में फरियादी कल्याण सिंह अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में देवेन्द्र अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि घटना के समय उसके अलावा पुरुषोत्तम एवं चाचा कल्याण सिंह अ.सा.01 घटनास्थल पर मौजूद थे। इससे कल्याण सिंह अ.सा.01 के आरोपित दुर्घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होने के उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की पुष्टि होती है।

10. मुख्य परीक्षण में कल्याण सिंह अ.सा.01 का यह कहना है कि भिण्ड की तरफ से वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 बेहद लापरवाही एवं तेजी से आया, जिसका अर्थ है कि उक्त वाहन के चालक द्वारा उक्त वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाया गया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में फरियादी कल्याण अ.सा.01 का कहना है कि बहुत तेजी से गाड़ी चलाने को तेजी कहते हैं और अगर लापरवाही नहीं होती तो यह एक्सीडेंट अर्थात् आरोपित घटना होती ही नहीं। इस प्रकार आरोपित घटना वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 के चालक द्वारा उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से वाहन चलाकर कारित की गई थी, इस वावत् फरियादी कल्याण सिंह अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

11. अभियोजन कथा के अनुसार आरोपित घटना बांके सिंह तोमर के मकान के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 92 तुकेड़ा मालनपुर की है। फरियादी कल्याण सिंह अ.सा.01 ने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में आरोपित घटना बांके सिंह के मकान के सामने की होना दर्शित की है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कल्याण सिंह अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि राममुनेश एवं बांके सिंह पिता-पुत्र हैं और दोनों अलग-अलग रहते हैं। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि घटना राममुनेश के दरवाजे पर हुई थी, बांके सिंह के दरवाजे पर नहीं हुई थी। इस वावत् साक्षी देवेन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि घटना राममुनेश के घर के बाहर हुई थी, राममुनेश एवं बांके पिता-पुत्र हैं। पुरुषोत्तम अ.सा.03 ने इस वावत् प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना राममुनेश के घर के बाहर दरवाजे पर हुई थी। तत्पश्चात् साक्षी का यह कहना है कि राममुनेश एवं बांके का ही दरवाजा है। नक्शा-मौका प्र.पी.05 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें राममुनेश तोमर एवं बांके तोमर के घर आस-पास होना दर्शित किया गया है। इसलिए उक्त साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इस वावत् जो आंशिक विरोधाभास दर्शित हुये हैं, वह साक्षीगण की ग्रामीण एवं अर्द्धशिक्षित पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये एवं बांके तोमर एवं राममुनेश तोमर के मकानों के नक्शा-मौका प्र.पी.05 के अनुसार समीप स्थित होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अत्यंत साधारण प्रकृति का विरोधाभास होना दर्शित होते हैं, जिसका

कोई लाभ आरोपी को प्रदान किया जाना प्रकरण के समस्त तथ्यों को समग्रता में दृष्टिगत रखते हुये, उचित प्रतीत नहीं होता।

12. साक्षी देवेन्द्र अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 11/08/2014 के दिन में 01:30 बजे की बाराहेट पेडा स्थित बांके के घर के सामने की है। साक्षी आगे कहता है कि घटना के समय आरती एवं भारती ट्यूशन पढ़कर पेडा से वापस आ रही थी। उसी समय एक केंटर गाड़ी जो भिण्ड से आ रही और ग्वालियर की तरफ जा रही थी, ने आकर आरती और भारती में टक्कर मार दी। उक्त गाड़ी तेजी एवं लापरवाही से चल रही थी। टक्कर लगने से भारती की मृत्यु हो गई थी तथा आरती घायल हो गई थी। साक्षी आगे कहता है कि आरती को एम्बूलेंस से अस्पताल भेज दिया था, उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर आ गई थी। गोहद में भारती का पोस्टमार्टम हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी, उसका नम्बर वह नहीं बता सकता। उसने टक्कर मारने वाले टक्कर को नहीं देखा था। घटना के समय उसके अलावा पुरुषोत्तम एवं चाचा कल्याण सिंह भी मौजूद थे। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी देवेन्द्र अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर यू.पी.86/एफ/9772 था।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में देवेन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि उसने घटनास्थल पर दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर नहीं देखा था और स्वतः कहा है कि दुर्घटना के कागजों में वाहन का नम्बर आने से उसे वाहन का नम्बर पता चला था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को चलते हुये नहीं देखा था, ना ही उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक को देखा था। इस प्रकार देवेन्द्र अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये, जो आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 या चालक के रूप में आरोपी मातवर की पहचान स्थापित करते हो।

14. साक्षी पुरुषोत्तम अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 12/03/2015 से लगभग 07 माह पूर्व दिन के 01:30 बजे की बांके सिंह के घर के सामने रोड़ की है, बांके सिंह का घर पेडा में है। साक्षी आगे कहता है कि उसी समय एक गाड़ी जो भिण्ड से आ रही और ग्वालियर की तरफ जा रही थी, उसने आकर भारती और उमा में टक्कर मार दी थी, उमा का नाम आरती भी है। साक्षी आगे कहता है कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी, वह तेजी से चल रही थी। साक्षी आगे कहता है कि उक्त वाहन को कौन चला रहा था, वह नहीं देख पाया था। टक्कर लगने से भारती की मृत्यु हो गई थी और आरती घायल हो गई थी। आरती को अस्पताल भेज दिया था, इसके अलावा उसे कुछ

नहीं मालूम। पुलिस ने घटना के बारे में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी पुरुषोत्तम अ.सा.03 ने व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर यू.पी.86/एफ/9772 था। इस प्रकार पुरुषोत्तम अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये, जो आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 या चालक के रूप में आरोपी मातवर की पहचान स्थापित करते हो।

15. साक्षी धर्मेन्द्र सिंह तोमर अ.सा.07 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी मातवर द्वारा दिनांक : 11/08/2014 को दोपहर लगभग 01:30 बजे बाके सिंह तोमर के मकान के सामने तुकेड़ा मालनपुर में ग्वालियर-भिण्ड लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने, आहत आरती को टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित करने एवं मृतक भारती को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

16. अभियोजन साक्षी सुनील कुमार दीक्षित अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी मातवर को जानता है। वह वाहन आयशर केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी गाड़ी को रुद्रपुर से इंदौर के लिए चालक मातवर चलाकर ले जा रहा था, तभी मालनपुर के पास रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक बच्ची खत्म हो गई थी तथा एक घायल हो गई थी, तो इस संबंध में आरोपी मातवर ने उसे फोन से सूचना दी थी। इस संबंध में उसने पुलिस थाना मालनपुर में प्रमाणीकरण दिया था, उक्त प्रमाणीकरण प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसे आरोपी मातवर द्वारा उक्त घटना दिनांक : 11 तारीख 07 वां या 08 वां महीना एवं वर्ष 2014 की होना बताई थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर सुनील कुमार अ.सा.06 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक : 11/08/2014 की है। साक्षी ने स्वतः कहा कि घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उसका प्रमाणीकरण प्र.पी.09 लेखबद्ध किया था। प्रमाणीकरण प्र.पी.08 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उक्त प्रमाणीकरण घटना दिनांक : 11/08/2014 के दो दिन पश्चात् अर्थात् दिनांक : 13/08/2014 को बनाया गया है। प्रकरण के विवेचक महावीर प्रसाद अ.सा.08 ने भी यह दर्शित किया है कि उसके द्वारा दिनांक : 13/08/2014 को वाहन मालिक सुनील अ.सा.06 का प्रमाणीकरण प्र.पी.09 लिया गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में सुनील कुमार अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और उसकी गाड़ी को पुलिस ने असत्य

अपराध में जब्त कर लिया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में सुनील अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि वाहन क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 पर आरोपी मातवर के अलावा एक क्लीनर भी मौजूद था। सुनील अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं हुआ है कि दिनांक : 11/08/2014 को वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 पर चालक के रूप में आरोपी मातवर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी कार्यरत था। इस प्रकार आरोपित घटना दिनांक : 11/08/2014 को वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 पर चालक के रूप में आरोपी मातवर के कार्यरत होने एवं उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के चालक के रूप में कार्यरत ना होने के संबंध में उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी सुनील कुमार दीक्षित अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

17. डॉ.अशोक मुद्गल अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 11/08/2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पद पदस्थ था। उस दिन उन्होंने आरक्षक राकेश द्वारा लाये जाने पर मृतक भारती पुत्री देवेन्द्र सिंह का शव परीक्षण किया था, उक्त शव की पहचान उसके पिता देवेन्द्र सिंह द्वारा की गई थी। डॉ.अशोक मुद्गल अ.सा.04 का मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह कहना है कि भारती की मृत्यु का कारण दुर्घटना में किसी वाहन के द्वारा शरीर का अधिकतम भाग वाहन के टायर के नीचे दब जाने के कारण मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़ों में हुई चोटों से आकस्मिक सदमे में जाना था। इस वावत् उनके द्वारा दी गई शव-परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डॉ.अशोक मुद्गल अ.सा.04 की उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उनके द्वारा दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 के तथ्यों से भी हो रही है। डॉ. अशोक मुद्गल अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उनके द्वारा दिनांक 11/08/2014 को किये गये मृतिका भारती के शव परीक्षण एवं उक्त शव परीक्षण के निष्कर्ष के अनुसार भारती की मृत्यु किसी वाहन दुर्घटना में होने के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 11/08/2014 को भारती की मृत्यु वाहन दुर्घटना में आई चोटों से हुई थी।

18. डॉ.आशीष सिरसीकर अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/08/2014 को अस्थिरोग विभाग गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में सहायक प्राध्यापक के पद पद पदस्थ था। बाह्य रोग विभाग में उनके द्वारा आहत आरती पुत्री देवेन्द्र सिंह उम्र 05 वर्ष का परीक्षण किया था, जिसके बाये कुल्हे की हड्डी में अस्थिभंग था, जिसका पूर्व में ऑपरेशन हुआ था और उक्त दिनांक को टांके उनके द्वारा कटवाये गये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में डॉ.आशीष सिरसीकर अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा आहत का कोई एक्स-रे परीक्षण नहीं किया गया था और उनके द्वारा आहत को दिया गया दवाओं का प्रेसक्रिप्शन

आहत के बाह्य परीक्षण के आधार पर तैयार किया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉ. आशीष सिरसीकर अ.सा.05 द्वारा अस्थिभंग के ऑपरेशन के पश्चात् आहत आरती के शरीर पर लगाये गये टांकों को काटे जाने के संबंध में उनका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है, जिससे पर्याप्त रूप से यह प्रमाणित होता है कि आहत आरती को उक्त वाहन दुर्घटना में अस्थिभंग कारित हुआ था।

19. अभियोजन साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 11/08/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक क्रमांक 437 मुलायम सिंह द्वारा लाकर पेश करने पर निरीक्षक शेर सिंह द्वारा लेखबद्ध की गई देहाती नालसी अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. प्रस्तुत की गई थी, उक्त देहाती नालसी के आधार पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 170/2014 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना हेतु एफआईआर एएसआई राधेश्याम को सौंप दी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में गजेन्द्र अ.सा. 08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने देहाती नालसी के आधार पर एफआईआर प्र.पी.11 लेखबद्ध की थी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.11 लेखबद्ध किये जाने के संबंध में गजेन्द्र अ.सा.08 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

20. अभियोजन साक्षी महावीर शर्मा अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 11/08/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 170/2014 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षी कल्याण सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से एक केंटर लाल रंग क्रमांक यू.पी. 86/एफ/9772 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षीगण बंटी उर्फ धर्मेन्द्र सिंह, पुरुषोत्तम, देवेन्द्र तोमर, कल्याण तोमर एवं दिनांक : 30/08/2014 को आरती के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक 13/08/2014 को उसके द्वारा आरोपी मातवर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.11 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी से थाना मालनपुर में एक केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 के बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी मातवर के ड्रायविंग लाइसेंस की प्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.12 बनाया था,

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक : 13/08/2014 को ही वाहन मालिक सुनील कुमार का उसके द्वारा प्रमाणीकरण प्र.पी.09 लिया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

21. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में विवेचक महावीर अ.सा.09 द्वारा आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि प्रमाणीकरण प्र.पी.09 उसके द्वारा लेखबद्ध किया गया था। साक्षी ने स्वतः कहा है कि वाहन मालिक के बताये अनुसार उसने लेखबद्ध किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में विवेचक महावीर अ.सा.09 द्वारा आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया गया है कि प्रमाणीकरण प्र.पी.09 का दस्तावेज उसने वाहन मालिक की अनुपस्थिति में लेखबद्ध किया था और उस पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में विवेचक महावीर अ.सा.09 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने नक्शा-मौका प्र.पी.05 का दस्तावेज फरियादी से पूछकर थाने पर तैयार किया था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.06 में वाहन केंटर किस व्यक्ति से जब्त हुआ था, इसका कोई उल्लेख नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा है कि घटनास्थल से जब्त हुआ था। जब्ती पत्रक प्र.पी.06 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि वाहन केंटर क्रमांक यू.पी. 86/एफ/9772 घटनास्थल बांके सिंह तोमर मकान के सामने से जब्त हुआ है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में विवेचक महावीर अ.सा.09 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आरोपी मातवर को झूठा आरोपी बनाया है और वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार विवेचक महावीर अ.सा.09 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विवेचना के दौरान उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों की सत्यता के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। महावीर अ.सा.09 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा बनाये गये नक्शा-मौका प्र.पी.05, जब्ती पत्रक प्र.पी.06 एवं प्र.पी.12, वाहन मालिक का प्रमाणीकरण प्र.पी.09, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 के तथ्यों से भी हो रही है।

22. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी मातवर ने दिनांक : 11/08/2014 को दोपहर लगभग 01:30 बजे बांके सिंह तोमर के मकान के सामने तुकेड़ा मालनपुर में ग्वालियर-भिण्ड लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, आहत आरती को टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं मृतक भारती को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अंतिम निष्कर्ष

23. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी मातवर के विरुद्ध धारा 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी मातवर को धारा 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

24. आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड दिया जाना आवश्यक है, इसलिए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

25. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री गिर्राज भट्टे को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी के अधिवक्ता श्री भट्टे का कहना है कि आरोपी कम पढ़ा-लिखा, गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हैं। वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति है। यह आरोपी का प्रथम अपराध है, जो उसके द्वारा जान-बूझकर नहीं किया गया है। न्यायालय आरोपी अधिवक्ता के तर्कों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। फलतः आरोपी को धारा 71 भा.द.सं. के प्रावधान के अन्तर्गत 279 भा.द.सं. के आरोप के लिए पृथक से दण्डित ना किया जाकर धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप के लिए 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 338 भा.द.सं. के आरोप के लिए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। प्रत्येक अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को पृथक से 15-15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे। आरोपी को दिये गये कारावास के दोनों दण्ड एक साथ भुगताये जायेगें।

26. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। आरोपी मातवर को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

27. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्डादेश की अवधि में से कम की जावे।

28. आरोपी मातवर द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 2000/- रुपये आहत आरती को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

29. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन केंटर क्रमांक यू.पी.86/एफ/9772 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी सुनील कुमार के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित

किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद